



दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
25/02/2021	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री रोहित सागर बोदरा, पिता/पति- स्व० सुरेश बोदरा, ग्राम- तमाड़बाँध, थाना-मुफ्फसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तमाड़बाँध, थाना नं०- 125, खाता न०- 37, प्लॉट न०- 792, रकवा- 0.05½ एकड़, भूमि क्रेता श्री श्याम होनहागा, पिता/पति- शिवा होनहागा, ग्राम- पुरनिया, थाना- मुफ्फसिल, के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तुक(ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता एवं अन्य के नाम से हालसर्वे खतियान में दर्ज होकर है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 182,दिनांक 12.02.2021 के द्वारा प्राप्त है। गृह निर्माण हेतु भू-खण्ड को क्रेता श्री श्याम होनहागा, पिता/पति- शिवा होनहागा, ग्राम- पुरनिया, थाना-मुफ्फसिल,के पास 2,27,500.00/- (दो लाख सताईस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् भी 2.60 एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशांसा के आलोक में विक्रेता श्री रोहित सागर बोदरा, पिता/पति- स्व० सुरेश बोदरा, ग्राम- तमाड़बाँध, थाना- मुफ्फसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तमाड़बाँध, थाना नं०-125 खाता न०-37, प्लॉट न०- 792, रकवा- 0.05½ एकड़, भूमि को क्रेता श्री श्याम होनहागा, पिता/पति- शिवा होनहागा, ग्राम- पुरनिया, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तुक(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ..... <u>अनुमति</u> ..... दी जाती है।</p> <p>लेखापित</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	